

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand



http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwd@nic.in

89 /01याता0'क' /2017

दिनांक- 17.02.2017

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता / रा0मा0 / ए0डी0बी0 / वर्ल्ड बैंक,
लोक निर्माण विभाग,
पौड़ी / टिहरी / हल्द्वानी / अल्मोड़ा / पिथौरागढ़ / देहरादून।

सेतुओं के निकट नदी के तल से मिट्टी तथा बालू की अनियन्त्रित खुदान पर प्रतिबन्ध लगाये जाने विषयक।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-76/111(2)/17-03(ऑडिट)/2009 दिनांक-
17.01.2017 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि संलग्न पत्र में इंगित बिन्दुओं पर
सन्तुष्ट/आख्या शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार आख्या शासन को
जा सकें।

यथोपरि।

(आर0सी0 पुरोहित)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मुख्यालय)

प्रतिलिपि: सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को शासकीय पत्र
25.01.2017 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासकीय पत्र में वर्णित पत्र
373/111(2)/13-03(ऑडिट)/2009 दिनांक-26.02.2013 की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो
अतः अनुरोध है कि उक्त की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।

(आर0सी0 पुरोहित)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मुख्यालय)

अ-तक
3-17

4
25/1/17

संख्या-76 / III(2) / 17-03(ऑडिट) / 2009

अमर-24932

प्रेषक,

डी०एस० गर्बाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(181)
4.55 (H2)

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून-1 (मु०)

SSO II

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून : दिनांक 25 जनवरी, 2017

लोक निर्माण अनुभाग-2
विषय-

सेतुओं के निकट नदी के तल से मिट्टी तथा बालू की अनियन्त्रित खुदान पर प्रतिबन्ध लगाये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1373/III(2)/13-03(ऑडिट)/2009 दिनांक 26 फरवरी, 2013 जो समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के द्वारा निर्मित सेतुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सेतु स्थल से एक किमी० दोनों दिशाओं की ओर पिलर लगाये जाने की कार्यवाही करते हुए, मिट्टी, रेत, बजरी व पत्थर आदि खनन कार्य को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि पुल से दूरी, पुल के प्रकार व स्थल पर नदी की चौड़ाई पर निर्भर होनी चाहिए। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्तानुसार की गई अपेक्षा के सम्बन्ध में विभागीय मन्तव्य से तत्काल शासन को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र यथाआवश्यक निर्णय लिया जा सके।

भवदीय,

(डी०एस० गर्बाल)
सचिव।

30
को प्रेषित
आ.सं. 1373/III(2)/13-03(ऑडिट)/2009
दिनांक 26/2/17
श्री 1373/III(2)/13-03(ऑडिट)/2009

89

24/02/17